NBT CITIZEN REPORTER आपकी आवाज
आपकी खबर से
बदलेगा शहर

वेबसाइट nbtcitizen.com पर जाकर लॉगिन करें। रजिस्ट्रेशन के बाद खबर, फोटो और विडियो अपलोड करें।

पार्क में डाला जा रहा है कूड़ा

सीआर पार्क
यहां के मार्केट नं 2 में मौजूद इस पार्क को लोगों ने कूड़ाघर बना दिया है। ऐसे में यहां आने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। कूड़ा भी कई दिनों तक पड़ा रहता है। **- सिटिजन रिपोर्टर अंशुल बदूनी**

यहां बर्बाद हो रहा पीने का पानी

छतरपुर एक्सटेंशन में एक महीने से टूटी है जल बोर्ड की पाइपलाइन

■ **एनबीटी न्यूज, छतरपुर**

छतरपुर एक्सटेंशन के सैकड़ों घरों में पीने के पानी की समस्या अब और गंभीर हो गई है। हफ्ते में तीन दिन इलाके में पानी की सप्लाई होती है। उस पर भी कॉलोनी की तरफ सरिता विहार से आने वाली जल बोर्ड की लाइन करीब एक महीने से टूटी पड़ी है। सड़क पर रोज सैकड़ों लीटर पानी बह रहा है। इससे घरों में पानी बहुत कम प्रेशर से आ रहा है। लोगों का कहना है कि समस्या को दूर करने के लिए जल बोर्ड के संबंधित विभाग के कर्मचारी बहानेबाजी कर रहे हैं।

एनबीटी सुरक्षा कवच वट्सऐप ग्रुप छतरपुर से जुड़े RWA के महासचिव संतोष मिश्रा ने बताया कि पाइपलाइन टूटते ही जल बोर्ड के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से लिखित एवं मौखिक शिकायत की गई थी। उसके 10 दिन बाद मौके पर पहुंचे बोर्ड JE और कर्मचारियों ने लीकेज पॉइंट देखने के बाद वहां खुदाई की थी। मरम्मत का काम अधूरा छोड़कर कल फिर आने का वादा करते हुए वे चले गए। मगर वह 'कल' अभी तक नहीं आया है।

लोगों का कहना है कि इस वजह से सोनिया विहार से कभी भी फुल प्रेशर के साथ पानी नहीं आता है। वह भी हर 2 दिन बाद सप्लाई होता है। पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए उन्हें प्राइवेट टैंकरों से पानी खरीदना पड़ता है। लोगों का कहना है कि जल बोर्ड के कर्मचारियों की सुस्ती और लापरवाही का खमियाजा यहां रहने वाले आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है।

लोगों का आरोप, कम प्रेशर से आता है पानी, शिकायत को गंभीरता से नहीं लेते कर्मचारी

NBT सुरक्षा कवच — मिलकर बनाएं दिल्ली को ज्यादा सेफ

शिकायतों के बावजूद अधिकारियों ने नहीं लिया अब तक कोई एक्शन

■ **एनबीटी न्यूज, गांधीनगर**

धर्मपुरा एक्सटेंशन, वॉर्ड 212 की गली नंबर 2 में पीने के पानी की मेन लाइन का फ्लशिंग पॉइंट करीब एक महीने पहले खोला गया था। बोर्ड के कर्मचारियों ने उसका ढक्कन ठीक से बंद नहीं किया। उसी दिन से हर रोज सैकड़ो लीटर पीने का पानी बर्बाद हो रहा है। पानी की बर्बादी रोकने के लिए जल बोर्ड के CEO और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से लेकर तमाम बड़े अधिकारियों को शिकायतें करने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है।

एनबीटी सुरक्षा कवच, गांधीनगर से जुड़े पूर्वी दिल्ली RWAs जॉइंट फोरम फेडरेशन के उपाध्यक्ष विमल शर्मा ने बताया कि बोर्ड के CEO को Email करने पर जवाब जरूर आता है कि संबंधित अधिकारी आपसे संपर्क करेंगे। लेकिन, समस्या की जानकारी मांगने या समस्या सुलझाने के लिए आज तक किसी अधिकारी का फोन तक नहीं आया है। पानी भरने से बुजुर्ग और स्कूली बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। कई बच्चों जल भराव के कारण गिरने से चोटिल भी हो रहे हैं।

धर्मपुरा एक्सटेंशन में मेन लाइन के फ्लशिंग पॉइंट के ढक्कन को ठीक से बंद नहीं किया

'पुरुषार्थ से ही बनते हैं महान'

■ **नप्र, नई दिल्ली :** चिंता हरण मंदिर, पटेल धाम, चाणक्यपुरी सत्संग में पंडित प्रेम वल्लभ पाठक ने कहा कि दुनिया में सभी महान व्यक्ति पुरुषार्थ से ही महान बने हैं, आज तक कोई भी आलसी महान नहीं बना है। आदिनाथ दि. जैन मंदिर सुंदर विहार-पश्चिम विहार में आचार्य वसुनंदीजी मुनिराज ससंघ के सान्निध्य में श्री कल्पद्रुम महामंडल विधान शुरू हुआ। दि. जैन मंदिर निर्माण विहार में श्री वर्धमान स्तोत्र के 64 विधान के समापन पर सामूहिक विधान पं. सतीश जैन सरल के सान्निध्य में संपन्न हुआ। हंस गौशाला भाटी द्वारा भोलेजी महाराज और मंगला माता की प्रेरणा से डेरागांव में आयोजित निशुल्क पशु जांच और चिकित्सा शिविर में 150 से अधिक गायों और अन्य मवेशियों की जांच कर इलाज किया गया।

धर्म कर्म

जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा

■ **एनबीटी न्यूज,नई दिल्ली :** बिहार के रहने वाले एक युवक को जिंदा कारतूस के साथ उस वक्त सीआईएसएफ ने पकड़ा जब वह एक्सप्रेस लाइन पर मेट्रो पकड़ने के लिए आया था। उसकी पहचान रोहित कुमार के तौर पर हुई है। आगे की कार्रवाई के लिए उसे आईजीआई एयरपोर्ट मेट्रो पुलिस को सौंप दिया गया।

पंजाबी बाग में नजफगढ़ ड्रेन के पुल की सड़क हुई जर्जर

■ **एनबीटी न्यूज, पंजाबी बाग**

पंजाबी बाग में नजफगढ़ ड्रेन पर इस्कॉन मंदिर के पीछे सड़क की हालत बेहद जर्जर है। लोगों का कहना है कि यहां से आते-जाते बाइक-स्कूटर वाले कई बार गिरकर चोटिल हो जाते हैं। लोग इसको लेकर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन संबंधित विभाग ने इसकी जर्जर हालत की तरफ ध्यान नहीं दिया।

प्रगति अपार्टमेंट में रहने वाले आर के चड्ढा बताते हैं कि इस सड़क से पंजाबी बाग से राजा गार्डन, राजौरी गार्डन जाने के लिए कम समय लगता है, इसकी वजह से अधिकांश गाड़ियों का यहां से जाना-आना होता है। ऐसे में लोगों का अनुरोध है कि इस सड़क की मरम्मत जल्द से जल्द कराई जाए। उबड़-खाबड़ होने की वजह से टू वीलर असंतुलित हो जाते हैं, जिससे हादसे का डर रहता है।

IISER BERHAMPUR
भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान बरहमपुर
INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH BERHAMPUR
An Autonomous Institution of the Ministry of Education, Govt. of India

Recruitment Notice for Non-Teaching Positions

No: NT-02/2024 Dated :29.04.2024

Opening date for submission of online application: **0900 hrs.** of **May 27, 2024**
Closing date of submission of online application: **1730 hrs.** of **June 26, 2024**
Crucial date for calculation of age/qualification/experience: **June 26, 2024**

The Indian Institute of Science Education and Research Berhampur, an Institute of National Importance, established by the Ministry of Education, Government of India, in order to promote higher scientific learning and research as well as scientific exploration at the undergraduate and postgraduate levels of education and to create scientists and academicians of the highest quality invites ONLINE applications from eligible Indian nationals to fill-up the following sanctioned regular posts as per the reservation and mode of recruitment mentioned against each: -

S. No.	Position	Group	Pay Level (as per 7th CPC)	Mode of recruitment	Vertical Reservation					Horizontal Reservation	Total No. of posts
					UR	SC	ST	OBC	EWS	PWD	
1	Assistant Engineer (Civil)	B	7	Direct Recruitment	01	00	00	00	00	00	01
2	Technical Assistant (Physical Sciences)	B	6		01	00	00	00	00	00	01
				Total	02	00	00	00	00	00	02

Note: The candidates are required to apply through ONLINE process only. Please visit Institute website www.iiserbpr.ac.in for submission of online application and full text of the advertisement for all other details regarding age relaxation, probation, recruitment rules etc.

Registrar

Reliance
Industries Limited
Growth is Life

पंजीकृत कार्यालय: ३री मंजिल, मेकर चेंबर्स ४, २२२, नरीमन पॉइंट, मुंबई – ४०० ०२१
फ़ोन: +९१–२२–३५५५ ५००० • फ़ैक्स: +९१–२२–२२०४ २२६८ • ई–मेल: investor.relations@ril.com
CIN: L17110MH1973PLC019786

सूचना

(कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के लिए)

विषय: कंपनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण में हस्तांतरण

यह सूचना निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षण, हस्तांतरण और धन वापसी) नियम, २०१६, और इसके संशोधनों (''नियम'') के अनुसार प्रकाशित की जा रही है।

अन्य मामलों के बीच, इन नियमों में, सभी शेयर जिनके संबंध में लगातार सात साल या उससे अधिक के लिए लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया ऐसे सभी शेयरों के निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (''आईईपीएफ'') प्राधिकरण के नाम पर हस्तांतरण का प्रावधान है।

नियमों में बताई गयी विभिन्न आवश्यकताओं का पालन करते हुए कंपनी अभी तक संबंध नियत तिथियों पर आईईपीएफ प्राधिकरण को सभी ऐसे शेयर्स हस्तांतरित कर चुकी हैं, जिनके वित्त वर्ष २०१५–१६ या उसके पहले के लाभांश का भुगतान लगातार सात या अधिक वर्षों से बकाया है या उनपर कोई दावा नहीं किया गया है। कंपनी ने दिनांक २१ मई, २०२४ के अपने पत्र के माध्यम से उन सभी शेयरधारकों को उचित कारवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से सूचित किया है, जिनके शेयर वित्त वर्ष २०२४–२५ में आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किये जाने वाले हैं।

कंपनी ने ऐसे शेयरधारकों और आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरण किए जाने वाले शेयरों की पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट **www.ril.com** पर अपलोड कर दी है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बेदावा लाभांश के विवरण और शेयर्स जो आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित होने हैं उनकी जानकारी की पुष्टि करने के लिए वेब लिंक **https://www.ril.com/investors/shareholders-information/dividend-shares** देखें।

शेयरधारक ध्यान दे कि नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, शेयरधारक बेदावा लाभांश और शेयर दोनों जो आईईपीएफ प्राधिकरण में हस्तांतरित किए हैं, इस तरह के शेयरों पर एकत्रित सभी लाभों सहित, यदि कोई हो, तो आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस दावा कर सकते हैं।

संबंधित शेयरधारक, जो फिजिकल रूप में शेयर्स धारण करते है और जिनके शेयर्स आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित होने वाले हैं, वे ध्यान दे कि नियमों के अनुसार कंपनी डीमैटरियलाइज करने के उद्देश्य से और आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरण करने के उद्देश्य से उनके द्वारा धारण किए मूल शेयर प्रमाणपत्र के एवज में नये शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी जिनके कारण मूल शेयर प्रमाणपत्र जो उनके नाम पर पंजीकृत हैं वे स्वयंमेव रद्द हो जाएंगे तथा गैर–परक्राम्य मान लिए जाएंगे। शेयरधारक आगे ध्यान दें कि कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किये गये विवरण को इन नियमों के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरण के प्रयोजन के लिए कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले नये शेयर प्रमाणपत्र के लिए पर्याप्त सूचना माना जायेगा।

यदि कंपनी २६ अगस्त, २०२४ या उससे पहले संबंधित शेयरधारकों से कोई भी संवाद (बेदावा लाभांश/न भुनाया हुआ लाभांश) प्राप्त नहीं करती है, तो कंपनी नियमों में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करने के दृष्टिकोन के साथ, कॉर्पोरेट कार्रवाई के माध्यम से शेयरों को डीमटेरियलाइज़ कर आईईपीएफ़ प्राधिकरण को हस्तांतरित कर देगी।

यदि शेयरधारकों को इस विषय पर या नियमों पर कोई प्रश्न है तो वे, **केफ़िन टेक्नोलॉजीस् लिमिटेड (युनिट: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड)**, कंपनी के रेजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजंट से, पता: सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. ३१–३२, गचिबोवली, फाइनैंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद – ५०० ०३२; टोल फ्री नं.: १८००–३०९–४००१. (सभी कार्य दिवसो पर सुबह ९:०० बजे (भारतीय समयानुसार) से शाम ६:०० बजे (भारतीय समयानुसार), ई–मेल: rilinvestor@kfintech.com, वेबसाइट: www.kfintech.com यहां संपर्क करें।

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षरी/–
सावित्री पारेख
कंपनी सेक्रेटरी
और कंप्लायन्स ऑफीसर

स्थान : मुंबई
दिनांक : २४ मई, २०२४

www.ril.com